

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम)

10-बी, संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर-302004

फोन. नं० 0141-2709827 / 2701349 / 2710072 फैक्स नं०-91-0141-2710072

क्रमांक फा.8पी()राइसेम/प्रशिक्षण/2016-17/6644

दिनांक : 29.12.16

आदेश

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान (राइसेम) द्वारा सामान्य चैनल के अन्तर्गत सहकारी विभाग के निरीक्षकों हेतु दिनांक 28.12.16 एवं 29.12.16 को **“Liquidation of Cooperative Societies”** विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले निम्नलिखित प्रशिक्षणार्थियों को आज दिनांक 29.12.16 को मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त कर निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति दें।

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद एवं पदस्थापन	उपस्थिति दिनांक
1.	श्री राम सिंह	निरीक्षक (कार्यकारी) उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, झुन्झुनूं	28.12.16
2.	श्री देवेन्द्र सिंह	निरीक्षक (ऑडिट) विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, नागौर	28.12.16
3.	श्री जया कंवर शेखावत	निरीक्षक (ऑडिट) विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, अजमेर	28.12.16
4.	श्री चन्द्रसेन सिंह राठौड़	सहायक रजिस्ट्रार क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., देवगढ़ (राजसमन्द)	28.12.16
5.	श्री सुरेश कुमार	निरीक्षक (कार्यकारी) उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अलवर	28.12.16
6.	श्री नरेश शुक्ला	निरीक्षक (कार्यकारी) उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर (शहर)	28.12.16
7.	श्री वेद प्रकाश सैनी	सहायक रजिस्ट्रार क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., खेरलीगंज	28.12.16
8.	श्री विजय सिंह	निरीक्षक (कार्यकारी) उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सीकर	28.12.16
9.	श्री सुनील कुमार गुप्ता	सहायक रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अलवर	28.12.16
10.	श्री नरेन्द्र कुमार	निरीक्षक (कार्यकारी) उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जैसलमेर	28.12.16
11.	श्री विजेन्द्र कुमार सालवी	निरीक्षक (ऑडिट) विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, उदयपुर	28.12.16
12.	श्री इरफान हुसैन	निरीक्षक (ऑडिट) विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, चित्तौड़गढ़	28.12.16
13.	श्री मदन लाल शर्मा	सहायक रजिस्ट्रार अतिरिक्त अधिशाषी अधिकारी, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., चूरु	28.12.16

(शिवकुमार बाकोलिया)
निदेशक

क्रमांक फा.8पी()राइसेम/प्रशिक्षण/2016-17/6645-64

दिनांक : 29.12.16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर ।
02. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मा.सं.वि.), सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर ।
03. उप रजिस्ट्रार/विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां,.....
04. प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.....
05. महाप्रबन्धक, क्रय-विक्रय सहकारी समितियां
06. समस्त प्रतिभागीगण श्री/श्रीमती
07. अति. निदेशक/प्रशासनिक अधिकारी/लेखा शाखा/स्टोर शाखा/छात्रावास अधीक्षक ।
08. गार्ड पत्रावली ।

(सी.एल. बुनकर)
सत्र संयोजक